अध्यादेशों का प्रख्यापन और पुन: प्रख्यापन

प्रलिमि्स के लयि:

अध्यादेश, संसद, राज्यपाल, बैंकगि कंपनयिाँ (उपक्रमों का अधगि्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 , न्यायकि समीक्षा, आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970)

मेन्स के लयि:

भारत में अध्यादेशों का अधनियिमन, अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory- NCT)** में दलि्ली के उपराज्यपाल को सेवाओं के संदर्भ में अधकिार देते हुए अध्यादेश जारी या प्रख्यापति कयिा है।

- इस अध्यादेश के तहत **"राष्ट्रीय राजधानी सविलि सेवा प्राधकिरण" की स्थापना की गई जसिमें** मुख्यमंत्री **और दो वरषि्ठ IAS अधकिारी शामलि हैं,** जो उन्हें बहुमत के माध्यम से मामलों को तय करने का अधकिार प्रदान करता है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह **कदम प्रभावी रूप से ऐसी स्थति उत्पन्न करता है जहाँ नरि्वाचति मुख्यमंत्री के वचिारों को संभावति रूप से खारजि कयिा जा सकता है।**

भारतीय राजनीति में अध्यादेश:

- **परचिय:**
  - **भारत के संवधिान का अनुच्छेद 123 जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी अत्यावश्यक परस्थितियिों में सत्र में नहीं होता है तो** राष्ट्रपति को **अध्यादेश जारी करने हेतु कानून बनाने** की कुछ शक्तयिाँ प्रदान करता है।
    - इसलयि संसद द्वारा अध्यादेश जारी करना संभव नहीं है।
    - जब अध्यादेश प्रख्यापति कयिा जाता है लेकनि वधिायी सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अध्यादेश कानून के रूप में प्रभावी रहता है। **इसकी वही शक्ति एवं प्रभाव है जो वधिायकिा के अधनियिम का होता है।**
      - लेकनि इसके पुन: प्रख्यापन के **छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक** होता है।
    - राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापति अध्यादेश की **वैधता** इसके **प्रख्यापन की तारीख से छह सप्ताह और अधकितम छह महीने तक** होती है।
  - कसिी राज्य का राज्यपाल भी **राज्य में वधिानसभा सत्र न होने की स्थति में** भारत के **संवधिान के अनुच्छेद 213** के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है।
  - यदि **दोनों सदन अलग-अलग तथियिों पर अपना सत्र शुरू करते हैं**, तो बाद की तारीख पर वचिार कयिा जाता है **(अनुच्छेद 123 और 213)।**
- **अधनियिमन:**
  - अध्यादेश बनाने की प्रक्रयिा में **अध्यादेश लाने का नरि्णय सरकार के पास होता है**, क्योंकि राष्ट्रपति **मंत्रपिरषिद की सलाह पर कार्य** करता है।
    - यदि **राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तो वह मंत्रमिंडल की सफिारशि के लयि पुनर्वचिार हेतु इसे वापस** कर सकता है।
    - हालाँकि यदि इसे वापस (पुनर्वचिार के साथ या बनिा) भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को इसे प्रख्यापति करना होता है।
- **अध्यादेश की वापसी:**
  - कसिी संभावति कमी के कारण **राष्ट्रपति एक अध्यादेश को वापस ले सकता** है और संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकार करने के लयि संकल्प पारति कर सकते हैं। हालाँकि **एक अध्यादेश की अस्वीकृति का अर्थ यह होगा कि सरकार ने बहुमत खो दयिा है।**
    - हालाँकि यदि **कोई अध्यादेश संसद की क्षमता के दायरे से बाहर कानून बनाता है, तो इसे शून्य माना जाता है।**
- **अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन:**
  - जब कोई अध्यादेश समाप्त हो जाता है, तो सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे फरि से प्रख्यापति करने का वकिल्प चुन सकती है।

- वर्ष 2017 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **विधायी विचार के बिना बार-बार पुनः प्रचार करना असंवैधानिक होगा और विधायिका की भूमिका** का उल्लंघन होगा।
  - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **अध्यादेश जारी करने की शक्ति को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना जाना चाहिये,** न कि विधायिका को बायपास करने के साधन के रूप में।

नोट: किसी भी अन्य कानून की तरह एक **अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता** है यानी यह पिछली तारीख से लागू हो सकता है। यह **संसद के किसी अधिनियम या किसी अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरस्त भी कर सकता** है।

फायदा	**नुकसान**
वे जरूरी मामलों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की अनुमति देते हैं।	वे कानून बनाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हैं और संसदीय निरीक्षण को कम करते हैं।
वे **विधायी बाधाओं के बिना नीति कार्यान्वयन को सक्षम** करते हैं।	वे **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमज़ोर करते** हैं और विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं।
न्यायिक अंतर या अस्पष्टता के मामले में वे कानूनी निश्चितता और स्पष्टता प्रदान करते हैं।	वे कानूनी अस्थिरता पैदा करते हैं क्योंकि वे अस्थायी हैं और परिवर्तन या निरसन के अधीन हैं।
वे **कार्यकारी शाखा की अनुक्रियता और जवाबदेही** को दर्शाते हैं।	उनका **राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिये या सार्वजनिक जाँच** या बहस से बचने हेतु दुरुपयोग किया जा सकता है।

अध्यादेशों पर अन्य विगत न्यायिक घोषणाएँ:

- **आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970):** इस मामले ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 को चुनौती दी, जिसने भारत में **14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण** किया।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, **अध्यादेश की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा** से **मुक्त नहीं है और इसे चुनौती दी जा सकती** है।
  - न्यायालय के अनुसार, **एक अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान संवैधानिक सीमाओं के अधीन है** और संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार या अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
- **ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982):** इस मामले में **राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980** को चुनौती दी गई थी, जिसमें **बिना मुकदमे के एक वर्ष तक के लिये व्यक्तियों को** निवारक हिरासत में रखने का प्रावधान था।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **अध्यादेश की वैधता का समर्थन किया, लेकिन इसके संचालन के लिये कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित** किये जैसे कि **एक सलाहकार बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा,** हिरासत में लिये गए व्यक्ति को हिरासत के आधार की सूचना देना और **हिरासत के खिलाफ प्रतिनिधित्व का अवसर देना**।
  - न्यायालय के अनुसार, **एक अध्यादेश का उपयोग संसदीय कानून के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिये** और इसका उपयोग केवल अत्यावश्यकता या अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामलों में किया जाना चाहिये।
- **डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987):** इस मामले ने विभिन्न वर्षों पर **वर्ष 1967-1981 के बीच बिहार के राज्यपाल** द्वारा जारी किये गए अध्यादेशों की एक शृंखला को चुनौती दी, जिनमें से कुछ को विधानसभा द्वारा पारित किये बिना कई बार पुनर्खापित किया गया था।
  - **सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अध्यादेशों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया तथा यह माना कि अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ धोखा** और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
  - **न्यायालय ने यह भी कहा कि एक अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है यदि इसे विधायिका द्वारा** पुनः इसके सत्र के **छह सप्ताह की अवधि में अनुमोदित नहीं किया जाता है** और पुनः प्रख्यापन द्वारा इसे जारी नहीं रखा जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/promulgation-and-re-promulgation-of-ordinances